कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/10/2025

श्री हरीश पाठक पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पाठक निवासी जघीना गेट, घस्सो की चक्की के पास, मोहल्ला गोपालगढ, भरतपुर राज0 मो0 7014938697

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 26.03.2025**

अपीलार्थी श्री हरीश पाठक पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पाठक निवासी जघीना गेट, घस्सो की चक्की के पास, मोहल्ला गोपालगढ, भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/230 दिनांक 17.03.25 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर से जबाब पत्र क्रमांक नासु/भरत/आटीआई/2025/456 दिनांक 26.03.2025 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में कथन है कि –

> "....बिंदुबार सूचना 384 पेज की थी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शुल्क 768/– रुपये 24.12.2024 को कार्यालय में जमा कराकर

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

सूचना मांगी गई थी फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना अधिकार अधिनियम का समय 30 दिन समाप्त हो गया है कृपया सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाए........।''

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में उल्लेख किया है कि :—

''....बिन्दू संख्या 01 और 02 की सूचना प्रश्नात्मक होने कारण प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज. जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.2.2009 के अनुसार प्रश्नवाचक होने के कारण उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। बिन्दू संख्या 3,4,5 की सूचना, सूचना का अधिकार 2005 के अध्याय 2 के नियम 11 के अन्तर्गत 1 के द्वारा तृतीय पक्ष की सूचना गोपनीय होने के कारण दिया जाना अपेक्षित नहीं है। आवदेन कर्ता द्वारा जमा की गई राशि को आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा करा दी गई है, अपील को इसी स्तर पर ड्रॉप करने का निवेदन किया है.......।''

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के साथ संलग्न पत्र जो कि प्रार्थी/अपीलार्थी को भेजा गया है के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सन्दर्भ में सूचित कर दिया गया है तथा प्रार्थी द्वारा जमा शुल्क भी वापिस प्रार्थी/अपीलार्थी के बैंक खाते में जमा करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर एवं अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर